संशोधित स्मृति पत्र

1–संस्था का नाम — डा० आर०एन० गुप्ता टैक्नीकल एजूकेशनल सोसाइटी आगरा उ०प्र०।

2–संस्था का पता– बुढिया का ताल, एत्मादपुर आगरा ।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– (क) संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत मे होगा इसके अलावा अगर संस्था विदेश मे कोई कार्यालय खोलना चाहे तो वहाँ भी उक्त अधिकारी की अनुमति से कार्यालय खोला जा सकता है ।
(ख). संस्था का कार्यालय का स्थानान्तरण कही भी संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति की अनुमति से हो सकता है । संस्था कभी भी अपना कार्यालय समय–समय पर खोल अथवा बन्द कर सकती है ।

4–संस्था के उद्देश्य–

(क) संस्था का उद्देश्य भारत के समूचे लोगो के लिये, अथवा विदेश मे विदेशियों के लिये बिना किसी जात–पात के तथा रंग भेद के तकनीकी शिक्षा चाहे वह किसी भी क्षेत्र मे हो प्रदान करना है ।

(ख) संस्था के द्वारा शिक्षा किसी भी पद्धति जैसा कि व्यवसायिक तकनीकी कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग, आर्युविज्ञान, टैक्सटाइल, सिविल इंजीनियरिंग इत्यादि मे डिग्री अथवा डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दिलवाना होगा ।

(ग) संस्था अपने उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त अथवा पूर्ण करने के लिये इसके सुसंगति जो भी कार्य सोसाइटी रजि.अधि.सन् 1860 के अन्तर्गत होंगे करेगी ।

(घ) संस्था के आय व्यय चल अचल सम्पत्ति इत्यादि संस्था के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये अथवा बढ़ाने के लिये ही प्रयोग होगी ।

(ङ) संस्था निर्धन, अनाथ तथा वृद्ध लोगों के कल्याण हेतु व उन्हे विभिन्न रोगों से मुक्त रखते हुये निशुल्क चिकित्सालय की स्थापना कर उसके कल्याण हेतु कार्य करेगी ।

(च) संस्था का उद्देश्य परिवार कल्याण कार्यक्रम, बाल टीकाकरण, परिवार नियोजन, बाल विकास केन्द्रों एव निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रमों को च..ा..ा कार्यक्रमो को सफल बनाने का प्रयास करना।

(छ) संस्था का उद्देश्य निर्धन अपंग अनाथ बच्चो के लिये पब्लिक स्कूल शिक्षा संस्थानो, तकनीकी शिक्षा संस्थानो की स्थापना करना तथा उनके लिये पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास आदि को स्थापित करना तथा शिक्षा विकास हेतु विद्यालयों एव महा विद्यालयों को खोलकर शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना ।

(ज) संस्था अपने विकास हेतु व उद्देश्यो की पूर्ति हेतु देश विदेश की वित्तीय संस्थानो स्वायत्वशासी संस्थानो, बैंको आदि से दान अनुदान, ऋण, एव वित्तीय सहायता प्राप्त कर उद्देश्यों की पूर्ति एव चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करेगी ।

(झ) संस्था का उद्देश्य ग्रामीण विज्ञान केन्द्र स्थापित करके ग्राम वासियो के लिये महामारियो से बचाव, स्वच्छता एव वातावरण के प्रदूषण से मुक्ति की व्यवहारिक शिक्षा का आयोजन करना ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आगरा

19-6-02

सोसाइटी ... 1860 के अन्तर्गत
पंजीकृत ...

Principal
Aditya College of Law
AGRA

(ञ) ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रो मे बच्चो के शारीरिक विकास के लिये इन्डोर व आउटडोर खेलो का आयोजन करना तथा लोगो को स्वरोजगार बनाने हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थानो की स्थापना करना तथा ग्रामीण व नगर क्षेत्रो मे निःशुल्क चिकित्सा सेवाओ के लिये डिस्पेन्सरी खोलना ।

(ट) संस्था का उद्देश्य समाज के विकास व नागरिको मे जागरूकता पैदा करने हेतु शिविर आदि लगाकर लोगो को स्वच्छता, पर्यावरण विकास शिक्षा विकास की ओर प्रेरित करना व नागरिको मे जागरूकता पैदा करना ।

(ठ) आवश्यकतानुसार विदेश सहायता से विद्यार्थियों को औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा कृषि के क्षेत्र मे ट्रेनिंग तथा शिक्षा का प्रबन्ध करना । जिससे स्वरोजगार योजनाओ को बढ़ावा मिले ।

(ढ) लेखको, रचनाकारो, साहित्यकारो तथा अनुवादको के कल्याण के लिये सेमिनार सिम्पोजियम आदि का आयोजन करना जिससे देश वासियो मे शिक्षा तथा संस्कृति के विकास मे उत्साह उत्पन्न हो ।

(ण) शिक्षित युवक युवतियो मे स्वावलम्बन की भावना जागृत करना तथा छात्र छात्राओं के लिये स्नातक एव स्नातकोत्तर विद्यालय की स्थापना कर विधि शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा, विज्ञान डिग्री, कृषि शिक्षा एवं वोकेशनल एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा पद्धति आधारित शिक्षा संस्थानो को खोलना व उसकी समुचित व्यवस्था करना ।

(त) ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु गांवो मे जहां शिक्षा की कमी है विद्यालय एव अन्य तकनीकी एव व्यवसायिक शिक्षा पद्धति के कालेज, डिग्री कालेज एवं इंजीनियरिंग कालेजो की स्थापना कर शिक्षा का प्रचार करना व बच्चो को योग्य नागरिक बनाकर राष्ट्र निमार्ण मे सहयोग करना ।

(थ) शिक्षा के विकास नगरीय/शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो मे पब्लिक स्कूल, विद्यालयो, कालेजो की स्थापना करना ।

(द) शहरी एव ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े इलाको मलिन बस्तियो के सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्र एव प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभागो एव मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्रालय, हडको, यूनीसेफ, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, नाबार्ड, डूडा, सूडा, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण निगम, वस्त्रशिल्प हस्त-मंत्रालय, पर्यावरण-मंत्रालय, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग एव विश्व विद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा विभाग के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमो को चलाकर नागरिको का सर्वांगीण विकास करना ।

सोसाइटीज [illegible] 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
[illegible]

5– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय दिये गये है जिन्हे कि नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है–

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–डा0 रामनिवास गुप्ता	जी–395, कमलानगर आगरा	अध्यक्ष	व्यापार
2–श्रीमती मीनेश गुप्ता	917, सेक्टर–द्वितीय आर0के0पुरम	उपाध्यक्ष	व्यापार
3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	ए–45, बजाजनगर जयपुर राज0	महामंत्री	पत्रकार
4–श्री आदित्य गुप्ता	इमली हाऊस इवकाल पो0 मम्बा	मंत्री	नौकरी
5–श्री योगेन्द्र कुमार	3520, सुन्दरम रोड, आइस हाऊस	संयुक्तमंत्री	व्यापार
6–श्री नागेन्द्र कुमार	610, कला कुटीर अमनपुर मदनमहल जबलपुर मध्यप्रदेश	कोषाध्यक्ष	व्यापार
7–श्रीमती शकुन्तलादेवी	गुप्ता मार्केट, सहपऊ मथुरा उ0प्र0	ऑडिटर	व्यापार
8–श्रीमती अंजली गुप्ता	ग्राम रहीमपुर पो0 बड़ोली जि0पलवल	सदस्य	नौकरी
9–श्रीमती अनुपमा गुप्ता	446/2 बारमरला शक्ति नगर गुड़गांवां	सदस्य	नौकरी
10–श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता	21 जिया सराय हौजखास नई दिल्ली	सदस्य	नौकरी
11–श्री पी0के0गुप्ता	जी395, कमलानगर आगरा	सदस्य	नौकरी

6– हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते है कि उक्त स्मृति–पत्र एवं संलग्न० नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि0–21 सन्1860 के अन्तर्गत एक समिति का पंजीयन करना चाहते है ।

दिनाँक– 18-5-02

Dr. R.N. Gupta ... Educational Society ... (U.P.)

Aditya Gupta

Anjali Gupta

सोसाइटी ... 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

18-6-02

Principal
Aditya College of Law
Agra

संशोधित नियमावली

1– (क)संस्था का नाम– डा0 आर0एन0 गुप्ता टैक्नीकल एजूकेशनल सोसाइटी आगरा उ0प्र0।

(ख) संस्था का पता– बुढ़िया का ताल, एत्मादपुर आगरा ।

(ग)संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत ।

2–सोसाइटी के निम्न प्रकार के सदस्य होगें –

(क) सामान्य सदस्य–

(1) कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र–25 वर्ष से ऊपर होगी तथा दिल व दिमाग से स्वस्थ होगा और सोसायटी के स्मृति पत्र मे दिये उद्देश्य तथा नियमों व अधिनियमों मे विश्वास रखता होगा तथा अपनी सदस्यता के लिये लिखित रूप से सोसायटी अध्यक्ष को प्रार्थना–पत्र दे सकता है।

(2) उसको सोसाइटी की सदस्यता के लिये 5000/–एक बार तथा रूपये 2000/–प्रति–वर्ष सोसायटी को देने पढ़ेगें ।

(3) अगर सोसायटी उसको अपना सदस्य बना लेती है तो सदस्य बनने के बाद उसको किसी भी आमत्रित बैठक मे वोट देने का अधिकार होगा ।

(ख) संस्थापक सदस्य–

सोसायटी का संस्थापक सदस्य आजीवन सदस्य होगा तथा उसको कोई भी शुल्क इत्यादि देने की आवश्यकता नही होगी । किन्तु अगर वह अपनी इच्छानुसार सोसाइटी को कुछ देना चाहता है तो सोसायटी उस अनुदान का स्वीकर करेगी ।

(ग) संस्थापक संरक्षक सदस्य–

(1) कोई भी सुसभ्य अथवा आदरणीय व्यक्ति जिसको कि सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी अनुमोदन कर दे, वह सोसायटी का संरक्षक या मुख्य संरक्षक मनोनीत किया जा सकता है । किन्तु किसी भी जिले का जिला मजिस्ट्रेट जहाँ इन्स्टीट्यूट चल रहा हो, वह उसका वहाँ पर संरक्षक होगा ।

(2) श्री देवेन्द्र गुप्त (नई–दिल्ली) आजीवन संस्थापक संरक्षक

(3) श्री एस0के0 गुप्ता (उ0प्र0) संरक्षक

(4) श्री वी0के0 गुप्ता (उ0प्र0) संरक्षक

(5) श्री डा0 एम0पी0 त्रिपाठी संरक्षक

(घ) सोसाइटी का आजीवन सदस्य–

कोई व्यक्ति सोसायटी को रूपये 25000/–एक साथ देगा तथा सोसाइटी के अध्यक्ष के नाम से संस्था की सदस्यता के लिये लिखित रूप से प्रार्थना–पत्र देगा तब वह की प्रबन्धकारिणी समिति के अनुमति द्वारा सदस्य बनाया जायेगा उस सदस्य को वोट देने का अधिकार होगा ।

प्रत्येक सदस्य को किसी भी बुलाई गई बैठक मे विशेषकर सामान्य बैठक मे वोट देने का अधिकार होगा ।

3–सोसायटी की सदस्यता निम्न लिखित प्रभावों से समाप्त समझी जावेगी ।

(क) मृत्यु

(ख) त्याग–पत्र

(ग) पागलपन किसी न्यायालय द्वारा दण्डित हो या

(ग) सदस्यता शुल्क न देने पर ।

(घ) सोसायटी के दूसरे/स्टाफ या इन्स्टीट्यूट के दुर्व्यवहार करने पर आदि ।

4–सदस्यता शुल्क–

सामान्य सदस्यता के लिये वार्षिक शुल्क रूपये 2000/–होगा जो कि रूपये 500/–तिमाही दिया जा सकता है तथा सोसायटी को दिया गया शुल्क वापिस नही किया जायेगा ।

5–गठन साधारण सभा–

सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर सभा का गठन किया जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

उप निबन्धक

Principal
Aditya College of Law
AGRA

6—साधारण सभा के कर्तव्य—

संस्था के हित मे समस्त आवश्यक कार्यवाही करना होगा ।

7—पुनः प्रवेश :—

सोसायटी के किसी भी सदस्य का पुनः प्रवेश सोसायटी के अध्यक्ष के नाम लिखित प्रार्थना—पत्र देने पर तथा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा अनुमति देने पर होगा ।

8—गठन प्रबन्धकारिणी —

सोसायटी के अलग—अलग पदों, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, एक मंत्री एक संयुक्तमंत्री, एक कोषाध्यक्ष, एक आंकिक और चार सदस्यों की प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव विशेष बैठक मे हाथ उठाने से या गुप्त मतदान द्वारा पाँच साल मे एक बार होगा ।

9—सोसायटी की प्रबन्धकारिणी समिति के निम्न सदस्य होगे—

(क) उपरोक्त नियम नं0—8 के अनुसार चुने हुये सात पदाधिकारी और चार सदस्य ।

(ख) सोसायटी के समस्त संस्थापक सदस्य चुने हुये उपरोक्त (9) (क) के सदस्यों के अतिरिक्त होगे।

(ग) सोसायटी के पहले अध्यक्ष डा0 आर0एन0 गुप्ता होंगे, जोकि आजीवन रहेंगे, जब तक वह स्वत नही त्यागेंगे ।

10—रिक्त स्थान—

सोसायटी मे किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान के रिक्त होने पर प्रबन्धकारिणी समिति को 2/3 बहुमत द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति करने का अधिकार होगा ।

11—बैठक (साधारण सभा व प्रबन्धकारिणी)—

(क) प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक साल मे चार बार तिमाही होगी । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है ।

(ख) सामान्य बैठक साल मे एक बार अवश्य होगी ।

(ग) दो तिहाई सामान्य सदस्यों की प्रार्थना पर सामान्य बैठक बुलाई जा सकती है ।

12—बैठक/मीटिंग बुलाने का ढंग—

महामंत्री अध्यक्ष की सलाह पर कोई भी बैठक सामान्य अथवा प्रबन्धकारिणी समिति बुला सकता है । प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक के लिये सात दिन की पूर्व सूचना तथा बैठकों मे होने वाले कार्यक्रम की पूर्व सूचना के साथ होगी ।

आपात कालीन बैठक अध्यक्ष की सलाह पर 24—घन्टे की पूर्व सूचना पर कभी भी बुलायी जा सकती है । किसी भी सामान्य अथवा कार्यकारिणी समिति की बैठक मे बात का कार्यक्रम अध्यक्ष अथवा महामंत्री अथवा प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्णय लेने के बाद सदस्यों को सूचित कर दी जायेगी ।

14—निर्दिष्ट संख्या—

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों मे सभासदों के निर्दिष्ट संख्या दो तिहाई होगी और इसी प्रकार से सामान्य बैठक मे ।

15—स्थगन बैठक—किसी भी बैठक मे सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या न होने पर बैठक को एक घन्टे के स्थगन के बाद दुबारा बुलाया जा सकता है । दुबारा बुलायी गई बैठक मे निर्दिष्ट संख्या नियम लागू नहीं होगा।

16—अभिलेख/रिकार्ड—

प्रबन्धकारिणी समिति को सोसायटी के पंजीकृत कार्यालय मे अध्यक्ष तथा महामंत्री के संरक्षकता मे होगा।

17— प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार—

प्रबन्धकारिणी समिति के सारे कारोबार को संचालन होगा तथा सारे इन्स्टीट्यूशन पर नियंत्रण करना होगा ।

18— प्रबन्धकारिणी समिति कोई भी सब समिति को किसी भी कार्य करने के लिये अथवा कोई भी सोसायटी के हित मे होने वाले कार्यों के विषय मे नियम व अधिनियम बनाने के लिये नियुक्त कर सकती है ।

19— सोसायटी के नियमों व अधिनियमों को बनाने अथवा बदलने के लिये प्रबन्धकारिणी समिति को अधिकार होगा साधारण सभा के 2/3 बहुमत से पास कराना होगा ।

सत्य प्रतिलिपि

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन [illegible] 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है ।

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

18-6-02

Aditya College of Law

.20—अधिकार व कर्तव्य—

(क) अध्यक्ष—

अध्यक्ष सब बैठको मे सभापति रहेगा तथा वह सोसाइटी व इन्स्टीट्यूशन के सारे कारोबार, वित्तीय, शासन सम्बन्धी व अनुशासन पर नियंत्रण रखेगा तथा किसी भी विषय को बहुमत से निर्णायक होने की अनुमति देगा, बराबर के मतो मे अपना विशेष अधिकार प्रयोग कर किसी भी विषय पर अपना निर्णय दे पायेगा और वह निर्णय सब पर लागू होगा ।

अध्यक्ष को ही केवल किसी को नियुक्त अथवा सेवा मुक्ति तथा अनुशासनिक कार्यवाही करने का विशेष अधिकार सुरक्षित रहेगा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम तथा किसी न्यायालय मे अनचेलेन्जेबिल/बिना चुनौती के होगा ।

(ख) उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे अध्यक्ष का कार्यभार तथा कर्तव्य उपाध्यक्ष निभायेगा ।

(ग) महामंत्री—

महामंत्री का कार्य सोसायटी के सारे कार्यभार को सभालना बैठक आदि बुलाना रिकार्ड आदि को सभालना तथ अध्यक्ष की सभ्कता मे सोसायटी द्वारा दी गयी जिम्मेदारियो तथा कर्तव्य को निभाना होगा महामंत्री को ही सोसायटी तथा इन्स्टीट्यूशन के अनुशासन को सभालना होगा ।

(घ) मंत्री

महामंत्री की अनुपस्थिति मे मंत्री कार्य करेगा।

(ङ)संयुक्त मंत्री—

संयुक्त मंत्री महामंत्री तथा मंत्री की जिम्मेदारियो तथा कर्तव्यो को निभाने मे सहयोग करना।

(च) कोषाध्यक्ष—

कोषाध्यक्ष को सोसायटी के तथा इन्स्टीट्यूशन के लेखा–जोखा के रिकार्ड को संभालना होगा ।

(छ) आंकिक—

सोसायटी के अनुशासन अथवा आय–व्यय लेखा–जोखा का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष तथा प्रबन्धकारिणी समिति को देना होगा ।

21—फण्डस—

सोसायटी के फण्डस किसी भी सिड्यूल्ड बैंक अथवा सिड्यूल्ड को–आपरेटिव बैंक मे अध्यक्ष महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष अथवा तीन मे से दो के मिले–जुले हस्ताक्षरों से संचालित होगा अथवा खोला जायेगा या बन्द किया जायेगा ।

22— सोसायटी के द्वारा या सोसायटी के विरूद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व सोसायटी के अध्यक्ष के नाम होगा अथवा अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे महामंत्री पर होगा किसी भी प्रकार के विवाद पर अदालती कार्यवाही हेतु अदालती क्षेत्र केवल आगरा (उ0प्र0) ही होगा ।

23— सोसायटी के साथ सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के नाम से होगा ।

24— सोसायटी के विघटन और उनके काम काज के समायोजना के लिए उपबन्ध :—

सोसायटी के कम से कम तीन/बटा पाँच न्यूनतम सदस्य अवधारित कर सकेंगे कि उसे विघटित कर लिया जाये और तब वह तत्क्षण या तत्समय सहमत पर विघटित कर दी जायेगी और सोसायटी की सम्पत्ति उसके दावो और दायित्वो के निपटारे और व्यवस्थानो के लिये उसको लागू उक्त सोसायटी के नियमो के अनुसार यदि कोई हो और या कोई न हो तो जैसा शासी निकाय समुचित समझे उसके अनुसार सब आवश्यक कार्यवाही की जायेगी परन्तु उक्त शासी निकाय या सोसायटी के सदस्यो के बीच कोई विवाद पैदा होने की दशा मे उसके कामकाज का समायोजन उस जिले के जिसमे सोसाइटी का मुख्य भवन स्थित आरम्भिक सिविल अधिकारिता वाले प्रधान न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा और न्यायालय मामले मे ऐसा आदेश करेगा जैसा वह अपेक्षणी समझे ।

25—अभिलेख—आवश्यकतानुसार सभी अभिलेख रखे जायेंगे।

26—अनुमति की अपेक्षा—

सोसायटी तब तक विघटित नही की जायेगी जब तक कि सदस्यो मे से तीन बटा पाँच ने ऐसे विघटन के लिये इच्छा ऐसी साधारण अधिवेशन म जो उस प्रायोजन के लिये बुलाया गया हो स्वयं के माध्यम से परिषद अपने मतों से अभिव्यक्त न कर दी हो ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फिर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
19-6-02

Adhyan College of Law
AGRA

27—विघटन पर किसी सदस्य को लाभ प्राप्त न होना—

सोसायटी के विघटन पर उसके सब ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात कोई भी सम्पत्ति बच जाये तो वह उक्त सोसायटी के सदस्यों में वितरित नहीं की जायेगी किन्तु किसी अन्य सोसायटी को दी जायेगी जो विघटन के समय पर स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पाँच न्यूनतम मत द्वारा या उसके अभाव में ऐसे न्यायालय द्वारा जैसा पूर्वोक्त है अवधारित की जायेगी।

दिनाँक— 19-5-02 सत्यप्रतिलिपि

B.N. Pandey

R. N. ...

D. R. R. N. Pandey

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटी

18-6-02